



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आषाढ 1937 (श10)
(सं0 पटना 809) पटना, शुक्रवार, 10 जुलाई 2015

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

10 जुलाई 2015

सं० बिक्री-कर/विधि-43/2011-3605—बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा-61 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य-कर आयुक्त, अधिसूचना निर्गमन की तिथि से, धारा-61 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 41 के अधीन विहित घोषणा पत्र की अपेक्षा से छूट निम्न मूल्यों हेतु प्रदान करते हैं —

‘बिहार राज्य के अंदर परिवहन की स्थिति में, अगर परिवहित मालों का मूल्य रुपये 2,00,000/- (दो लाख) रुपये या कम हो।’

2. इस अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से विभागीय अधिसूचना संख्या-4324 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 विलोपित समझी जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 10th July 2015

No. Bikri kar/Vividh-43/2011-3605—In exercise of the powers conferred under proviso to sub-section (1) of Section 61 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No.

27 of 2005) the Commissioner, with effect from the date of issuance of this notification, exempts consignment of the following value from requirement of clause (c) of sub-Section (1) of Section 61 in so far as it relates to the carrying declarations as prescribed under rule 41 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005:-

‘In case of transportation within the state of Bihar, if the Value of goods transported is Rupees 2,00,000 (Rs. Two lakh) or less.’

2. Departmental Notification number- 4324 dated 03.12.2013 shall, with effect from the date of issuance of this notification, stand cancelled.

By order of the Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 809-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>